REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 659]	नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2015/चैत्र 10, 1937
No. 659]	NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2015/CHAITRA 10, 1937

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2015

का.आ. 883(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग, कथित सारणी के स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट खंड, कथित सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट लंबाई के रारा खंड को भारतीय राष्टीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थातः—

सारणी

नई रारा सं.	पुरानी रारा सं	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड	लंबाई (किमी में)
(1)	(2)	(3)	
"50	218	बीजापुर-गुलबर्गा-होमनाबाद खंड	किमी 195.000 से किमी
		(कर्नाटक राज्य में)	418.000"

[फा. सं. एनएच-14013/7/2013-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक(पीएंडबी)

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

### New Delhi, the 31st March, 2015

**S.O. 883(E).**— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

IADLE					
New National	Old National	Section of National Highway	Stretches in Kilometers		
Highway No.	Highway No.				
(1)	(2)	(3)	(4)		
"50	218	Bijapur-Gulbarga-Homnabad section	From Km.195.000 to		
		(In the State of Karnataka)	Km.418.000."		
		-			

TABLE

[F. No. NH-14013/7/2013-P&M] MAYA PRAKASH, Director (P&B)

# अधिसूचना

## नई दिल्ली, 31 मार्च, 2015

का.आ. 884(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतदद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 11 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

		c	
"11	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 [किमी 0.0 से किमी 592.0 (बंगलौर से कर्नाटक/महाराष्ट्र सीमा)	कर्नाटक	राज्य
	और किमी 216.914 से किमी 318.000 (बंगलौर-हौसकोटे-कर्नाटक/आंध्र प्रदेश सीमा)	सरकार".	
	तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. ४ए, [किमी 9.500 से किमी 84.120		
	(बेलगाम-गोवा/कर्नाटक सीमा) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 [किमी		
	348-800 से किमी 423.800 (महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय		
	राजमार्ग सं. 13 [(किमी 30.340 से किमी 418.600 (शोलापुर-बीजापुर-हुंगुंड-हौजपेट		
	चित्रदुर्ग खंड) और किमी 743.900 से किमी 745.000 (मरोली जंक्शन से नंथूर		
	जंक्शन) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 [(किमी 3.700 से किमी		
	17.200, किमी 93.700 से किमी 376.700 (गोवा- कर्नाटक सीमा - कुंदरपुर -		
	सूरतखल – नंथूर – मंगलौर – कर्नाटक/केरल सीमा) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय		
	राजमार्ग सं. 48 [(किमी 28.200 से किमी 189.500 (राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर नीलमंगला		
	जंक्शन के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के देवीहल्ली से हासन) और किमी 328.000 से		
	किमी 345.000 (बी. सी. रोड से पादिल जंक्शन) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय		
	राजमार्ग सं. 63 [(किमी 280.300 से किमी 375.740 (हौजपेट– बेल्लारी– कर्नाटक		
	/आंध प्रदेश सीमा खंड) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 67, राष्ट्रीय राजमार्ग		
	सं. 206, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 207 [(किमी 58.300 से किमी 139.180 (हौजपेट -		
	दोबासपेट खंड) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 209, राष्ट्रीय राजमार्ग सं.		
	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 212, <b>राष्ट्रीय राजमार्ग सं.218 [किमी 195.000 से किमी 418.000</b>		
	(बीजापुर-गुलबर्गा-होमनाबाद खंड) तक छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 234, और नई रारा		
	सं. 150, नई रारा सं. 150 विस्तार, नई रारा सं. 151ए, नई रारा सं. 167, नई रारा सं 169ए,		
	नई रारा सं.173, नई रारा सं.275, नई रारा सं.367 और नई रारा सं.766सी के उतने		
	भाग जो कि कर्नाटक राज्य में अवस्थित हैं ।		

[फा.सं. एनएच-14013/7/2013-पीएंडएम] माया प्रकाश, निदेशक (पीएंडबी) टिप्पण : मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3 उप खंड-(ii) के सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 254 (अ), तारीख 28 जनवरी, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था ।

#### **NOTIFICATION**

#### New Delhi, the 31st March, 2015

**S.O. 884(E).**—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 11 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE				
(1)	(2)	(3)		
"11	So much of National Highway No.4 [excluding from Km. 0.0 to Km. 592.0 (Bangalore	State Government of		
	to Karnataka /Maharashtra Border) and from Km. 216.914 to Km.318.000 (Bangalore-	Karnataka."		
	Hoskote-Karnataka/Andhra Pradesh Border)], National Highway No.4A [excluding			
	from km. 9.500 to km.84.120 (from Belgaum-Goa/Karnataka Border)], National			
	Highway No.9 [excluding from Km. 348.800 to Km. 423.800(Maharastra/Karnataka			
	Border), National Highway No.13 [excluding from Km. 30.340 to Km. 418.600			
	(Solapur-Bijapur-Hungund-Hospet Chitradurga section) and from Km. 743.900 to			
	Km.745.000 (Maroli Junction to Nanthoor Junction)], National Highway No.17			
	[excluding from Km. 3.700 to Km. 17.200 and Km. 93.700 to Km. 376.700			
	(Goa/Karnataka Border-Kundarpur- Surathkal- Nanthoor- Mangalor- Karnataka/Kerala			
	Border)], National Highway No.48 [excluding from Km. 28.200 to Km. 189.500			
	(Nelamangala Junction on National Highway 4 with National Highway 48 to Devihalli			
	to Hassan) and from Km.328.000 to Km.345.000(B.C Road to Padil junction)], National			
	Highway No.63 [excluding from Km.280.300 to Km. 375.740 (Hospet-Bellary-			
	Karnataka/Andhra Pradesh Border section)], National Highway No.67, National			
	Highway No.206, National Highway No.207 [excluding Km.58.300 to Km.139.180			
	(Hoskote-Dobbaspet Section)], National Highway No.209, National Highway No.212,			
	National Highway No.218 [excluding from Km. 195.000 to Km. 418.000 (Bijapur-			
	Gulbarga-Homnabad section)], National Highway No. 234, new National Highway			
	No. 50 (Andhra Pradesh/Karnataka border-Bidar-Homnabad section), new National			
	Highway No. 67, new National Highway No.150, new National Highway No. 150 Extn,			
	new National Highway No. 150A, new National Highway No. 167, new National			
	Highway No. 169A, new National Highway No. 173, new National Highway No. 275,			
	new National Highway No. 367 and new National Highway No. 766C as are situated			
	within the State of Karnataka.			

[File No. NH-14013/7/2013-P&M] MAYA PRAKASH, Director (P&B)

**Note :** The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005 and was last amended vide number S.O. 254 (E), dated the 28<sup>th</sup> January, 2015.